

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

Appointment of Vice-Chancellor of Sammakka Sarrakka Central Tribal University (SSCTU)

Central Universities (Amendment) Act, 2023 for establishment of Sammakka Sarrakka Central Tribal University (SSCTU) in the State of Telangana has been passed by Parliament and assented to by the Hon'ble President of India in December 2023.

The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:

- A person possessing the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

- A distinguished academician, with a minimum of 10 years' experience as Professor in a University or 10 years' experience in reputed research and/or academic administrative organization with proof of having demonstrated academic leadership.

- Preferably not more than 65 years of age as on the closing date of receipt of applications of this advertisement.

Salary and Service Conditions

- The post carries a pay of Rs. 2,10,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 11,250/- and other usual allowances.

- The terms and conditions of the services will be those as set forth in the Central Universities Act, 2009.

Procedure for appointment

- The first Vice Chancellor shall be appointed by the Visitor (Hon'ble President of India) of the University in such manner and for such term, not exceeding five years, as may be specified by the Visitor.

- The advertisement is available on the websites <http://www.education.gov.in> and <http://www.uohyd.ac.in>.

- Candidates are required to **“APPLY ONLINE ONLY”** on the Ministry of Education SAMARTH portal as per the link given below:

<https://vcrec.samarth.ac.in/index.php/>

- The above link will be active from 14.03.2024, 10:00 Hours to 13.04.2024, 17:00 Hours.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तेलंगाना (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया है और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर 2023 में सहमति दी गई है।

अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपति से निम्नलिखित अपेक्षित है:

- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति।
- एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष या प्रतिष्ठित अनुसंधान और/या अकादमिक संगठन में प्रशासनिक नेतृत्व का प्रदर्शन करने के प्रमाण के साथ 10 वर्ष का अनुभव।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्त की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें

- पद हेतु अन्य सामान्य भत्तों और 11250/- रुपए के विशेष भत्तों के साथ 2,10,000/- रुपए (नियत) प्रतिमाह का वेतन निर्धारित है।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में दी गई है।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- प्रथम कुलपति की नियुक्ति विजिटर (भारत के माननीय राष्ट्रपति) द्वारा ऐसी विधि और ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक ना हो, के लिए की जाएगी, जो विजिटर द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- यह विज्ञापन वेबसाइट <http://www.education.gov.in> और <http://www.uohyd.ac.in> पर उपलब्ध है।

“केवल ऑनलाइन आवेदन करें”

- उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के अनुसार केवल शिक्षा मंत्रालय समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा:

<https://vcrec.samarth.ac.in/index.php/>

- उपरोक्त लिंक दिनांक 14.03.2024, 10:00 घंटे से दिनांक 13.04.2024, 17:00 घंटे तक सक्रिय होगा।